देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

JAWAB DO SARKAR ™

www.jawabdosarkar.com

जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

रेफरेंस संख्या –2021/mmp/32 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | शुक्रवार, 26 फरवरी 2021

नगर निगम ग्रेटर के झोटवाडा ज़ोन में स्थित आवासीय भूखंड संख्या 44,कृष्णा नगर,हरी मार्ग,वैशालीनगर पर किया जा रहा निर्माण वैध है या अवैध?

पता:-S1,झारखंड अपार्टमेंट,सगत सिंह मोड,जनरल सगत सिंह मार्ग,खातीपुरा-302012 मोबाइल:-9828346151

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी
सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

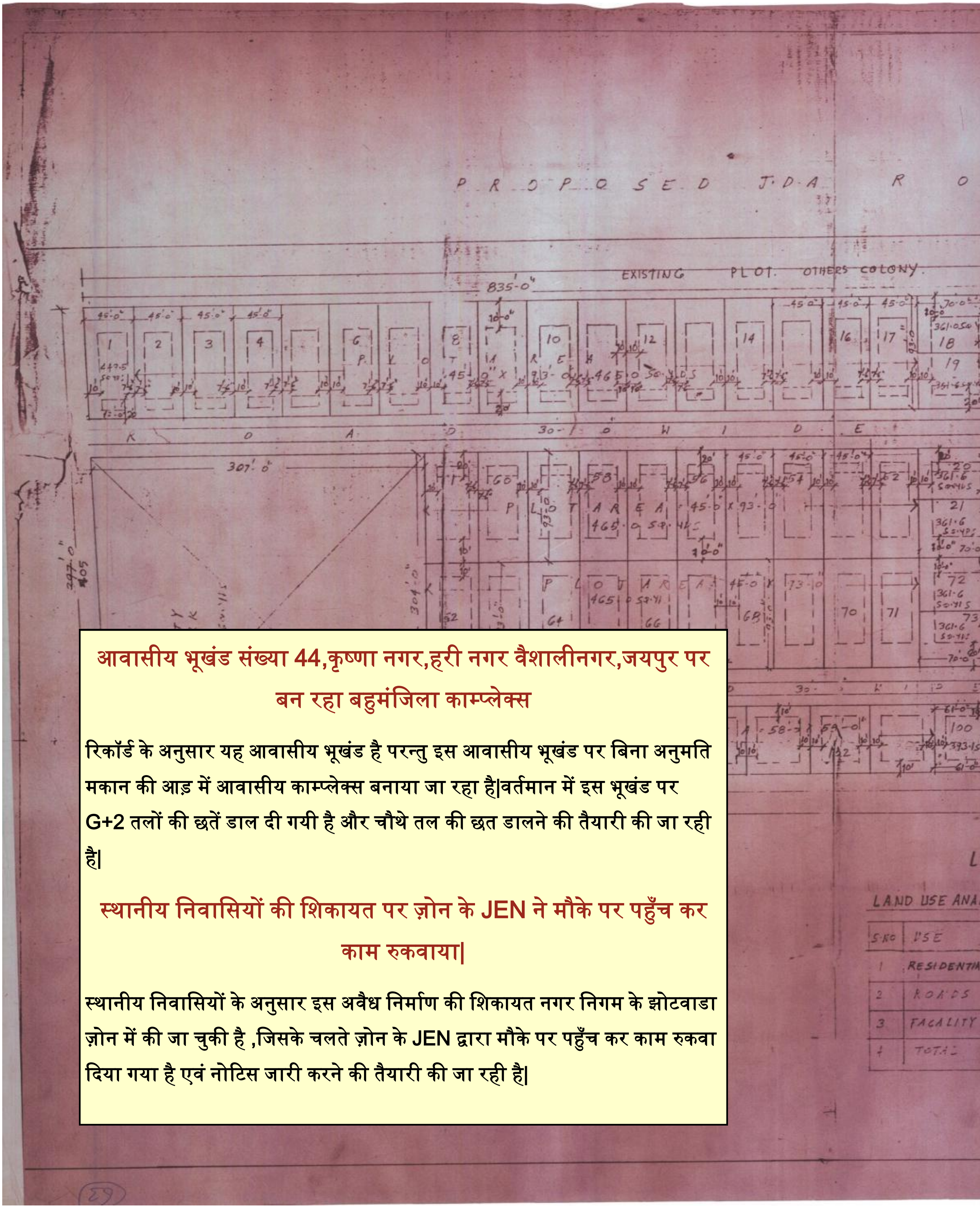

आवासीय भूखंड संख्या 44,कृष्णा नगर,हरी नगर वैशालीनगर,जयपुर पर बन रहा बहुमंजिला काम्प्लेक्स

रिकॉर्ड के अनुसार यह आवासीय भूखंड है परन्तु इस आवासीय भूखंड पर बिना अनुमति मकान की आड़ में आवासीय काम्प्लेक्स बनाया जा रहा है|वर्तमान में इस भूखंड पर G+2 तलों की छतें डाल दी गयी है और चौथे तल की छत डालने की तैयारी की जा रही है|

स्थानीय निवासियों की शिकायत पर ज़ोन के JEN ने मौके पर पहुँच कर काम रुकवाया|

स्थानीय निवासियों के अनुसार इस अवैध निर्माण की शिकायत नगर निगम के झोटवाडा ज़ोन में की जा चुकी है ,जिसके चलते ज़ोन के JEN द्वारा मौके पर पहुँच कर काम रुकवा दिया गया है एवं नोटिस जारी करने की तैयारी की जा रही है|

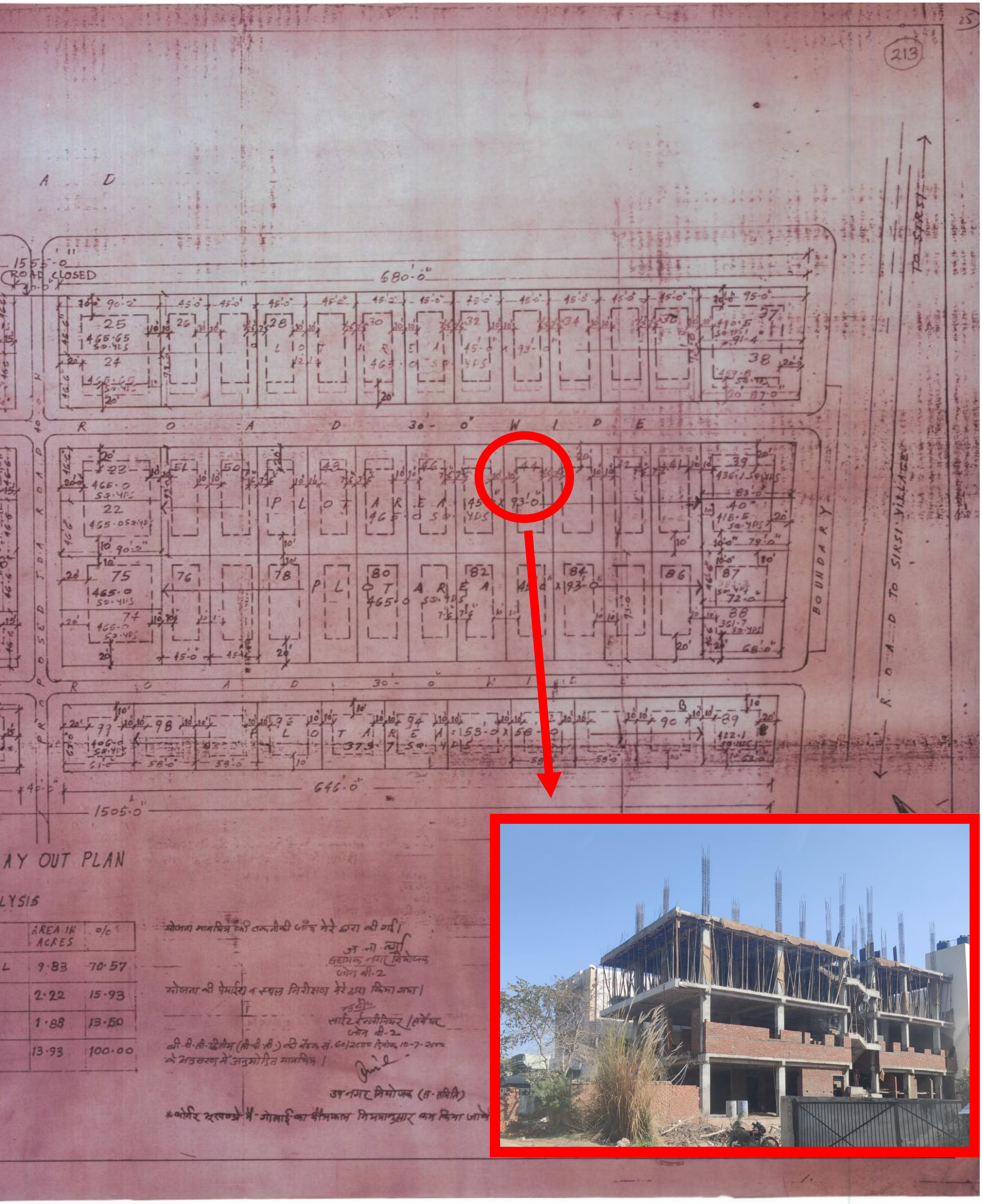
213
ROAD CLOSED
680'-0"
R O A D 30'-0" W I D E
P L O T A R E A
B O U N D A R Y
TO SIRSI
R O A D TO SIRSI VILLAGE
646'-0"
1505'-0"
AY OUT PLAN
LYSIS
AREA IN ACRES
%
9.83
70.57
2.22
15.93
1.88
13.50
13.93
100.00

प्रथम सुचना रिपोर्ट

1.	भूखंडो का पता	44,कृष्णा नगर,हरी मार्ग,वैशालीनगर जयपुर
2.	संचालित गतिविधि	आवासीय काम्प्लेक्स
3.	उल्लंघन की संभावित प्रकृति	बिना नक़्शे पास करवाए एवं बिना अनुमति,बिना भवन विनियमों की पालना के आवासीय काम्प्लेक्स का निर्माण
4.	सम्बंधित ज़ोन	नगर निगम ग्रेटर जयपुर,झोटवाडा ज़ोन
5.	कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारी(प्रवर्तन स्तर पर)	ममता नागर
6.	सक्षम अधिकारी को शिकायत प्रेक्षण दिनांक	26/02/2021

जवाब मांगते सवाल?

अवैध निर्माण नहीं रोकना भी भ्रष्टाचार

उच्च न्यायालय ने दिखाई सख्ती

जयपुर @ पत्रिका . अवैध निर्माण सहित अन्य अवैध गतिविधियां नहीं रोकने वाले लोकसेवकों पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत कार्रवाई का रास्ता खुल गया है। हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण सहित अन्य अवैध गतिविधियों पर सख्ती दिखाते हुए सोमवार को भ्रष्टाचार निरोधक कानून के दायरे के बारे में जानकारी के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिरीक्षक दिनेश एमएन को तलब किया। कोर्ट ने 20 अप्रेल को जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त, नगर निगम आयुक्त को तलब किया है।

जज महेश चन्द्र शर्मा ने मोहनलाल नामा की अवमानना याचिका पर यह आदेश दिया। हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण मामले में 22 जनवरी 2015 को अभ्यावेदन तय करने का आदेश दिया था। इस पर कार्रवाई न होने पर यह याचिका दायर की है। प्रार्थीपक्ष की ओर से अधिवक्ता विमल चौधरी ने कोर्ट को बताया कि जयपुर शहर में अवैध निर्माण व कब्जे हो रहे है। कोर्ट के आदेशों की अवमानना हो रही है। अवैध निर्माण व कब्जों को रोकने के लिए राज्य सरकार ने अधिकारियों को क्षेत्रवार जिम्मेदारी दी है। कोर्ट ने इस पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि इन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है या नहीं? जवाब के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिरीक्षक दिनेश एम एन को तलब किया। उन्होंने दायित्व के प्रति अनदेखी को भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में माना।

कार्रवाई संभव

अतिरिक्त महाधिवक्ता जी एस गिल ने कहा कि अवैध निर्माण या अवैध गतिविधियां रोकने के लिए जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी जानबूझकर कार्रवाई न करे या अनदेखी करे तो उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। इसके लिए प्रक्रिया अपनानी होगी। गिल के आग्रह पर कोर्ट ने आदेश दिया कि मामले में कोई आदेश जारी करने से पहले जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त व जयपुर नगर निगम आयुक्त से जवाब तलब किया जाए।

सुनवाई 20 को

कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कोई भी अधिवक्ता पक्ष रखना चाहे तो वह सुनवाई के दौरान पक्ष रखने को स्वतंत्र होगा। मामले की सुनवाई अब 20 अप्रेल को सुबह 11 बजे होगी।

1. क्या भवन मालिक द्वारा सक्षम प्राधिकरण से भवन विनियमों के अनुसार मानचित्र अनुमोदित करवा कर निर्माण करवाया गया है?
2. क्या भवन मालिक द्वारा भवन विनियमों के अनुसार सैटबैक व अन्य मापदंडों का पालन किया जा रहा है?
3. क्या भवन मालिक द्वारा इस भूखंड की एक मुश्त/वार्षिक लीज मनी जमा करवा दी गयी है?
4. क्या भवन मालिक द्वारा इस भूखंड का यू.डी. टेक्स जमा करवा दिया गया है?
5. यह मामला जे.डी.ए./नगर निगम के आला अधिकारियों के संज्ञान में आने के बावजूद यदि कोई कार्यवाही नहीं होती है और बिल्डिंग के अवैध निर्माण को आंच नहीं आती तो क्या सक्षम प्राधिकरण के जिम्मेदार अधिकारियों का यह आचरण भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं आता है?
6. क्या जे.डी.ए./नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट पिटीशन 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राजस्थान सरकार; में दिए गए आदेशों की अवमानना के दोषी नहीं है?
7. क्या इस अवैध निर्माण के विरुद्ध आज दिनांक तक कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है?क्यों उन शिकायतों पर आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी?
8. क्या राजनैतिक रसूखात है इस अवैध बिल्डिंग के मालिक के?अब तक कितनी अवैध बिल्डिंगे बना चुका है इस भूखंड का मालिक?

*<u>केन्द्रीय सरकार की मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मिडिया आचार संहिता के तहत जारी :-</u> www.jawabdosarkar.com शासन के विभिन्न अभिकरणों में पारदर्शिता और जवाबदेही को प्रोत्साहित करने हेतु स्थापित ऑनलाइन मिडिया प्लेटफार्म है| अपने उत्तरदायित्वों की पूर्ति हेतु पोर्टल द्वारा समय समय पर अपने अभियानों के माध्यम से विभिन्न विषयों / मुद्दों/ समस्याओं के सम्बन्ध में तथ्यपरक रिपोर्ट्स का प्रकाशन किया जाता है| पोर्टल द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट्स को उससे सम्बंधित सभी पक्षों / प्रभावितों और व्यापक जन हित में अधिकतम व्यक्तियों तक पहुचाना पोर्टल की पारदर्शिता निति का हिस्सा मात्र है| पोर्टल द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट्स का किसी व्यक्ति/ संस्था/ जाति/धर्म विशेष से कोई लेना-देना नहीं है| पोर्टल द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट्स के सम्बन्ध में अपना पक्ष/ सुझाव/ आपत्तिमय सम्बंधित तथ्यों/ दस्तावेजों के पोर्टल के आधिकारिक पतेः-S-1, **सेकंड फ्लोर, झारखण्ड अपार्टमेंट, जनरल सगत सिंह मोड़ खातीपुरा रोड, जयपुर** अथवा ईमेल :-jawabdosarkar01@gmail.com अथवा व्हाट्सअप न. 9828346151 पर प्रेषित कर सकते है| आपके पक्ष/ सुझाव/ आपत्ति को उचित होने पर इस रिपोर्ट के अगले अंक में प्रकाशित कर दिया जायेगा|*